



Neutral Citation No. - 2026:AHC:45873

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 8331 वर्ष 2026

अरविंद कुमार मिश्रा

.....याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 23 अन्य

.....प्रत्यर्थीगण

याची के अधिवक्ता

: अमृतेश द्विवेदी

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., सुधीर भारती

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया

1. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. प्रस्तावित आदेश के परिप्रेक्ष्य में, प्रतिपक्षीगण को नोटिस निर्गत कर याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि कोई प्रतिपक्षी इस आदेश से स्वयं को आहत अनुभव करता है, तो उसे आदेश के संशोधन/परिवर्तन हेतु आवेदन प्रस्तुत करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा मूलतः यह प्रार्थना की गई है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/अपर आयुक्त (प्रशासन-II), गोरखपुर मंडल, गोरखपुर को निर्देशित किया जाए कि वे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 210 के अंतर्गत दायर पुनरीक्षण संख्या 594 वर्ष 2025 (कम्प्यूटर वाद संख्या सी2025000000594) का यथाशीघ्र निर्णय करें।
4. अभिलेख से परिलक्षित होता है कि उक्त पुनरीक्षण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दीर्घ अवधि से लंबित है तथा पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अब तक प्रकरण में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. प्रकरण के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्तमान याचिका का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि प्रत्यर्थी संख्या 2/अपर आयुक्त (प्रशासन-II),

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



गोरखपुर मंडल, गोरखपुर, उपर्युक्त पुनरीक्षण का **विधि के अनुसार कठोरतापूर्वक** एवं यथाशीघ्र निर्णय करें, तथापि किसी विधिक बाधा के अभाव में अनावश्यक स्थगन प्रदान न किया जाए।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पडिया)

दिनांक : 27 फरवरी, 2026

साकलैन

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण:-अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।